दयानन्द इन्टर कालेज—गोरखपुर

इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९८०
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या _____ दिनांक ८.६.८०

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी बृजेश कुमार श्रीवास्तव अनुक्रमांक २९६६९०

द्वारा परिषद् की **इण्टरमीडिएट** परीक्षा, १९८० में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण।

वर्ग _____

परीक्षार्थी द्वारा लिए गए विषय	विषय के निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	अनुयोग	क्रियात्मक	वाणिज्य प्रथम: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी	वाणिज्य प्रथम: टंकण सिद्धान्त	वाणिज्य प्रथम: टंकण क्रियात्मक	वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र	आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: द्वितीय प्रश्न-पत्र	आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: अनुयोग	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: द्वितीय प्रश्न-पत्र	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: तृतीय प्रश्न-पत्र	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: चतुर्थ प्रश्न-पत्र	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: अनुयोग	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: विषय योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
सामा॰ हि॰	१००	२०	१६	२२	५८													५८
मौ॰ वि॰	१००	२४	३०		५४	२९												८३
इसा॰ वि॰	१००	३१	३४		६५	३०												९५
गणित	१००	३४	२६	३४	९५													९५
अंग्रेजी	१००	१६	१५	२८	६०													६०

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अङ्कों में – तीन सौ इकान्वे ३९१

परीक्षा फल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी या अनुत्तीर्ण)	कृपांक	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहाँ उल्लेख कीजिए	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है? यदि हाँ, तो विषय	क्या निःशुल्क सन्निरीक्षा का अधिकारी है?
प्रथम		मौ॰ वि॰, इसा॰ वि॰ गणित	सम्मान सहित उत्तीर्ण		

नोट – प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं, इसकी जाँच परीक्षार्थी नीचे दिये नियमों के आधार पर स्वयं भी कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करा लें अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकती है, जो परीक्षार्थी के लिए अहितकर होगा। परिषद कार्यालय में जाँच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायेगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

१ प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है, उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिये अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क निर्धारित है।

२ – उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अङ्क से कम अङ्क नहीं होने चाहिए। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क से कम होने पर प्राप्ताङ्क वृत्त के भीतर किये जाते हैं।

३ किसी विषय में ७५ प्रतिशत अङ्क पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

४ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अङ्कों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

५ – यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय में पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

६ पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः सन्निरीक्षा के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अङ्क प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गए हैं, पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः सन्निरीक्षा के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर पुस्तकों की सन्निरीक्षा निःशुल्क होगी।

बनाने वाले के हस्ताक्षर [signature]

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर _____

PRINCIPAL
DAYANAND INTER COLLEGE
GORAKHPUR

[कृपया पन्ना उलटिये]